

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 अप्रैल 2010—वैशाख 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. 2701-162-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
(क्रमांक १७ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ४-क का संशोधन.
५. धारा ४-ख का संशोधन.
६. धारा ४-ग का स्थापन.
७. धारा ५ का स्थापन.
८. धारा ६-क का संशोधन.
९. धारा ६-ख का संशोधन.
१०. धारा ६-ग का संशोधन.
११. धारा ७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१०

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)

अधिनियम, २०१०.

[दिनांक २३ अप्रैल २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ अप्रैल २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
- धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "नौ हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "सोलह हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ४-क का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४-क में, शब्द "सात हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ४-ख का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "चार हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ४-ग का स्थापन. ६. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
- अर्दली भत्ता. "४-ग. प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास अर्दली भत्ता दिया जाएगा."
- धारा ५ का स्थापन. ७. मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
- बस यात्रा भत्ता. "५. प्रत्येक सदस्य को दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा."
- धारा ६-क का संशोधन. ८. मूल अधिनियम की धारा ६-क की उपधारा (१) में,—
(एक) प्रथम पैरा में, शब्द "छह हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "सात हजार रुपये" स्थापित किए जाएं;
(दो) प्रथम परन्तुक में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन सौ रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ६-ख का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ६-ग का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.
- धारा ७ का संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में, शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. 2702-162-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 4-A.
5. Amendment of Section 4-B.
6. Substitution of Section 4-C.
7. Substitution of Section 5.
8. Amendment of Section 6-A.
9. Amendment of Section 6-B.
10. Amendment of Section 6-C.
11. Amendment of Section 7.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April, 2010].

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

Short title.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 3.

Amendment of Section 4.	3. In Section 4 of the Principal Act, for the words “twelve thousand rupees”, the words “sixteen thousand rupees” shall be substituted.
Amendment of Section 4-A.	4. In Section 4-A of the Principal Act, for the words “seven thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted.
Amendment of Section 4-B.	5. In Section 4-B of the Principal Act, for the words “two thousand rupees”, the words “four thousand rupees” shall be substituted.
Substitution of Section 4-C.	6. For Section 4-C of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—
Orderly allowance.	“4-C. There shall be paid to every member orderly allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.”.
Substitution of Section 5.	7. For Section 5 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—
Bus Travelling Allowance.	“5. There shall be paid to every member Bus Travelling Allowance at the rate of two hundred fifty rupees per mensem.”.
Amendment of Section 6-A.	8. In sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act,—
	(i) in the first paragraph, for the words “six thousand rupees”, the words “seven thousand rupees” shall be substituted.
	(ii) in the first proviso, for the words “two hundred rupees”, the words “three hundred rupees” shall be substituted.
Amendment of Section 6-B.	9. In Section-6-B of the Principal Act, for the words “three thousand rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted.
Amendment of Section 6-C.	10. In Section-6-C of the Principal Act, for the words “three thousand rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted.
Amendment of Section 7.	11. In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words “three thousand rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted.